# HAPUR POLICE

## OPERATION CONVICTION

**हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए युवती पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले मे एक आरोपी को 03 वर्ष 05 माह का कठोर कारावास व 2,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।**

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 17.08.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले मे एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 02.03.2023 को अभियुक्त नरेश कुमार पुत्र कश्मीरी लाल निवासी मौहल्ला मधुबन कॉलोनी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा वादिया की पुत्री पर उस्तरे से जानलेवा हमला करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 136/2023 धारा 323, 307 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 19.03.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 17.08.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे द्वितीय हापुड़ द्वारा 03 वर्ष 05 माह का कठोर कारावास व 2,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री विजय चौहान (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री जसवंत सिंह, पैरोकार म0का0 अंजू व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 शालिनी चौधरी का विशेष योगदान रहा।